P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन योजना का मूल्यांकन : पुरोहितों की ढाणी ग्राम पंचायत (जिला झुन्झुनू) के सन्दर्भ में

वन्दना कुमारी
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' का भौगोलिक मूल्यांकन किया गया है। झुन्झुनू जिले की ग्राम पंचायत–पुरोहितों की ढाणी में अध्ययन हेतु पंचायत के कुल परिवारों में से सांख्यिकीय विधियों के आधार पर प्रतिदर्श का चयन करते हुए प्रश्नावली बनाकर परिवार के जिम्मेदार सदस्य से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों पर संकलित किये गये आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हुए उनका सारगर्भित विश्लेषण तैयार कर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में इस मिशन की लोगों तक पहुंच एवं उपयोगिता, सबसे लद्यु स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान तथा खुले में शौच से मुक्त पंचायत बनाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन, एवं सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में रही कमियों के संदर्भ में उपयुक्त समाधान सुझाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : प्रतिदर्श, प्रश्नावली, अपशिष्ट निपटान, ग्रामीण स्वच्छता, साख्यिकीय विधियाँ।

प्रस्तावना

भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में वर्ष 1954 से शुरू किया गया था। 1981–90 के दौरान पेयजल व स्वच्छता के लिए अन्तराष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान प्रदान करना था। इसी कड़ी में वर्ष 1999 में 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' 2005 में स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' जिसके अन्तर्गत पूर्ण स्वच्छता कवरेज व खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थिति व अन्य संकेतकों के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करना प्रमुख उद्देश्य था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को अप्रैल 2012 में 'निर्मल भारत अभियान' के बदले रूप में शुरू किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की गति को नवीकृत कार्यनीतियों व स्वच्छता दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके।

सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों को बढ़ानें तथा स्वच्छता पर ध्यान सकेन्द्रित करने हेतु दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरूआत की गई।

स्वच्छ भारत मिशन का समन्वयक सचिव, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय होगा तथा इस मिशन के दो घटक है– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। वर्ष 2019 तक महात्मा गाँधी की 150वीं जन्म वर्षगाँठ पर स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना इस मिशन का प्रमुख उद्येश्य है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के जरिए स्वच्छता स्तरों को उन्नत बनाना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ व साफ सुथरा बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में जिले को एक आधार इकाई के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसका उद्येष्य ग्राम पंचायतों में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिला राजस्थान राज्य के 27^0 38′ से 28^0 36′ उत्तरी अक्षांश तक तथा 75^0 02′ से 76^0 06′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले के उत्तर–पश्चिम में चुरू जिला तथा दक्षिण पश्चिम में सीकर जिला तथा उत्तर–पूर्व में हिसार और महेन्द्रगढ़ से घिरा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र 5928 वर्ग कि.मी. है समुद्र तल से 338 मीटर की ऊचाई पर स्थित है। जिले को पॉच मुख्य विभाजन तथा छ तहसीलों झुंझुनूं, चिड़ावा, खेतड़ी, बुहाना, नवलगढ़, उदयपुरवाटी तथा 8 पंचायत समितियों में बटा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र झुंझुनूं जिले में 12 नगरपालिकाऐं है।

जिले की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 21,39,658 है तथा जिले का जनघनत्व 361 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है, जो 2001 की तुलना में 38 अधिक है। जिले की कुल जनसंख्या राजस्थान की 3.12 प्रतिशत है जिसमें 1,097,390 पुरूष तथा 1,042,268 महिलाएं है। 2001–2011 के मध्य जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 11.81 प्रतिशत रही, जिलें की कुल साक्षरता 2001 में जहां 73.04 प्रतिशत थी वही 2011 में बढ़कर 74.72 प्रतिशत के साथ राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त है। जिलें की पुरूष साक्षरता 87.88 प्रतिशत जो राज्य में सर्वाधिक पुरूष सारक्षता है, जिला महिला सारक्षरता की दृष्टि से कोटा ओर जयपुर के बाद 61.15 के साथ तीसरा स्थान रखता है। झुंझुनूं जिले में 12 नगर 927 गांव है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिले के कुल क्षेत्रफल 591536 हैक्टेयर में से वन क्षेत्र (6.70 प्रतिशत), कृषि के लिए अयोग्य (6.34 प्रतिशत), जोत रहित भूमि, पड़त भूमि के अतिरिक्त (7.87 प्रतिशत), पड़त भूमि (7.62 प्रतिशत), वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल दुपज घटाकर (71.47 प्रतिशत) है।

झुंझुनूं जिले का नाम झुंझुनूं नगर से लिया गया है जिसमें खेतड़ी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, बिसाऊ, डुण्डलोद और मण्डावा ठिकानों को सम्मिलित किया गया है जो स्वतंत्रता पूर्व जयपुर राज्य के भाग थे यह क्षेत्र कभी स्वतंत्र राज्य नहीं रहा परन्तु व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और यहां के व्यापारी देश–विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध रहे है यहां व्यापारियों के द्वारा निर्मित हवेलियां व मन्दिर आज पर्यटक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। जिलें का अधिकांश भाग मैदानी है रेतीलें टीलों की ऊँचाई लगभग 15–30 मीटर के मध्य है जिले का सामान्य ढलान उत्तर–पूर्व की ओर है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. जिले को एक इकाई के रूप में प्रस्तावित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को प्रभावी रूप से लागु करने के सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता को बनाए रखने व खुले में शौच से मुक्त पंचायत की अवधारणा की वास्तविकता का पता लगाना।
3. सबसे सूक्ष्म स्तर पर सरकार के इस महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में तथ्य एकत्र कर उनका विश्लेषण कर पता लगाना कि यह मिशन अपने प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं।

शोध विधि

अध्ययन हेतु पंचायत के कुल परिवारों में से सांख्यिकीय विधियों के आधार पर प्रतिदर्श का चयन करते हुए प्रश्नावली बनाकर परिवार के जिम्मेदार सदस्य से जानकारी प्राप्त कर संकलित किये गये आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हुए उनका सारगर्भित विश्लेषण तैयार किया गया।

प्रतिदर्श के चयन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियों में मुख्यतया स्तरित, क्रमबद्ध एवं दैव प्रतिचयन विधियों का प्रयोग कर निम्न सारणी के माध्यम से प्रतिदर्श को प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1: चयनित परिवार

गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार				गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार			
सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति वर्ग		सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति वर्ग	
कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित
699	13	31	3	8	4	9	5

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा

सर्वप्रथम आय के आधार पर कुल परिवारों को स्तरित प्रतिचयन के द्वारा एपीएल एवं बीपीएल श्रेणी में वर्गीकृत कर उनका उप वर्गीकरण सामान्य व अनुसूचित जाति के आधार पर किया गया।

1. एपीएल सामान्य वर्ग के समग्र अधिक होने के कारण प्रतिदर्श 2 प्रतिशत लेते हुए परिवारों का चयन क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया एवं इस हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया–

सूत्र – $\boldsymbol{K = N/n}$

2. एपीएल एससी वर्ग में परिवारों का चयन 10 प्रतिशत प्रतिदर्श लेते हुए दैव प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया।
3. बीपीएल सामान्य एवं एससी वर्ग के परिवारों में समग्र छोटा होने के कारण प्रतिदर्श 50 प्रतिशत लेते हुए सर्वेक्षण हेतु परिवारों का चयन किया गया।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

परिणाम एवं विश्लेषण

तालिका 2: श्रेणी के अनुसार शौचालय निर्माण और उनका उपयोग

	गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार (प्रतिशत में)		गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (प्रतिशत में)	
	सामान्य	अनुसूचित जाति	सामान्य	अनुसूचित जाति
कुल	**96**	**04**	**45**	**55**
शौचालय निर्माण एस.बी.एम. (ग्रामीण)	25	33	75	100
स्वयं द्वारा	75	33	0	0
इन्दिरा आवास योजना	0	33	35	0
कार्यात्मक उपयोग	100	100	100	60
पानी की व्यवस्था	100	100	66	20
योजना के अन्तर्गत	0	66	66	20
स्वंय द्वारा	100	34	–	–
मनरेगा में पंजीकृत	15	66	50	40

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा

तलिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों में 25 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत किया गया है जबकि शेष स्वयं द्वारा निर्मित शौचालयों का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतित करने वाले परिवारों में सामान्य वर्ग के लगभग 75 प्रतिशत शौचालय व अनुसूचित जाति के 100 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण योजना के अन्तर्गत किया गया है।

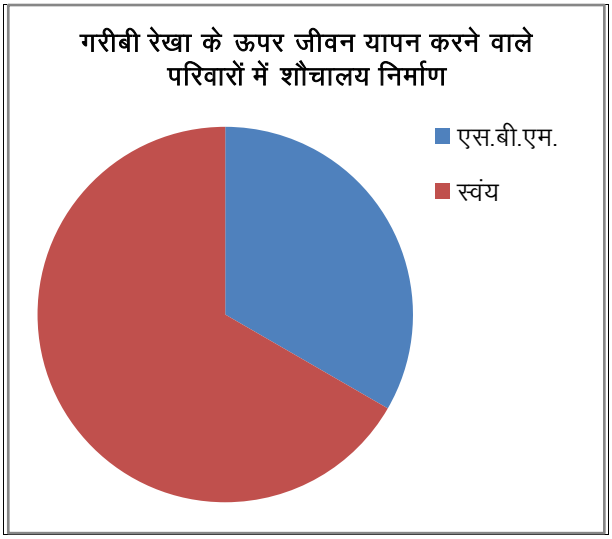

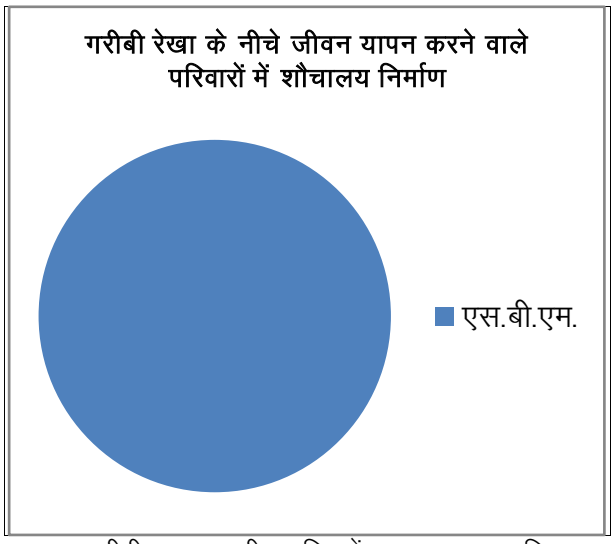

बीपीएल एससी परिवारों द्वारा 60 प्रतिशत शौचालयों का ही कार्यात्मक उपयोग किया जा रहा है क्योंकि योजना के अन्तर्गत दी गई प्रोत्साहन राषि 12000/– रूपये पर्याप्त नहीं थी तथा इन परिवारों के पास अतिरिक्त धन न होने के कारण इनका निर्माण पुरा नहीं करवा सके। एपीएल सामान्य परिवारों के द्वारा शौचालय में पानी की व्यवस्था स्वयं द्वारा की गई जबकि बीपीएल सामान्य परिवारों हेतु 66 प्रतिशत शौचालयों में पानी की व्यवस्था योजना के अन्तर्गत की गई। एपीएल अनुसूचित वर्ग के 66 प्रतिशत शौचालयों में पानी की व्यवस्था योजनान्तर्गत व 34 प्रतिशत स्वयं द्वारा तथा बीपीएल एस सी परिवारों में 20 प्रतिशत शौचालयों में ही पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई।

मूल्यांकन

चुंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना ग्रामीण स्वच्छता व खुले में शौच से मुक्त गांव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उपर्युक्त ग्राम पंचायत के अध्ययन से पता चलता है कि

शौचालय निर्माण, हाथ धोने, सफाई हेतु जारी की गई प्रोत्साहन राशि मात्र 12000/– है जिसके द्वारा एक उपयोगी शौचालय का निर्माण नहीं किया जा सकता।

जो परिवार सक्षम है उन्होने मात्र धन प्राप्त करने के लिए पहले से निर्मित शौचालयों की मरम्मत कार्य करवाकर पुरी राशि प्राप्त करली इसके विपरीत जो वर्ग वास्तव में इसकी आवश्यकता महसुस करता है उनके लिए शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया और यदि निर्मित किए गये तो कई प्रकार की कमियां जैसे कि पानी की उपयुक्त व्यवस्था न होना, गेट नहीं लगे होना और केवल ईंटों का एक ढाँचा खड़ा कर देना इत्यादि हैं।

केवल मात्र शौचालयों के निर्माण से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस हेतु आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। सामाजिक दबाव व पुरस्कार के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर सकते है। गरीब परिवार जो शौचालय में निवेश करने में सक्षम नहीं है उन्हें MGNREGA के तहत वित्तिय सहायता प्रदान की जा सकती है साथ ही कम लागत वाले शौचालय निर्माण के विकल्पों की तलाश कर इस मिशन की प्रासंगिकता को बनाए रखना होगा।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके द्वारा भारत को एक बेहतर व साफ–सुथरे देश के रूप में बदला जा सकता है परन्तु इसके लिए लोगों का नजरिया बदलना होगा। साथ ही प्रषासनिक व्यवस्था एवं संरचना को सुदृढ. करना आवश्यक है ताकि पूर्ण ईमानदारी से यह कार्यक्रम को लागू हो सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता योजना तैयार करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम समस्या की गहनता का आकलन कर निर्धारित कर उपलब्ध निधियों के बीच अन्तर को कम करने हेतु उपयुक्त विकल्प जैसे कि – समुदाय व आम जनता के योगदान से लागत व उपलब्ध निधियों के अन्तर की भरपाई कर उसे क्रियान्वित करना होगा।

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर उनके निरीक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंप दें ताकि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर होने वाली लागत को कम कर खुले में शौच से मुक्त व स्वच्छ गांवों का विकास कर स्वच्छ भारत मिशन की प्रासंगिकता को बनाए रखा जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. *Guidelines for Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking and Sanitation (GoI)*
2. *www.mdws.nic.in*
3. *निर्मल भारत अभियान हेतु दिशानिर्देश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) राजस्थान, जयपुर*
4. *Census of India, 2011, Rajasthan*
5. *District Census Handbook, Jhunjhunun*
6. *www.nabard.org*
7. *वार्षिक रिपोर्ट (2014) राजस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
8. *अधिकारी, अनन्विता एवं भाटिया, कृत्तिका (2010) नरेगा वेज पेमेंटसः केन वी बैंक ऑन द बैंक्स, इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 45, इश्यू 1 पृ.सं. 30–37।*
9. *चन्द्रशेखर, सी.पी. एवं धोष, जयति (2009) सोशियल इन्क्लूजन इन नरेगा, बिजनस लाइन, जनवरी 27*